न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

करण संख्याः 47/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. गोपाल लाल पुत्र श्री मोहरी लाल जाति ब्राह्मण निवासी उमाड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थी

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थिति–

1. श्री अनिल शर्मा, वकील प्रार्थी ओर सें।

दिनांक – 14.10.2019

नि र्ण य

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की रिकॉर्डेड खातेदारीशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 3.36 है0, में हिस्सा 1/18, खसरा नम्बर 272, 273 कुल रकबा 0.60 है0 में हिस्सा 1/40, ख0नं0 275 रकबा 0.04 है0 में हिस्सा 1/29 वाके ग्राम उमाड़ा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है। प्रार्थी उक्त भूमियो में अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभाग करता चला आ रहा है। तथा जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम संहवन सें गोपाल लाल की जगह रामगोपाल अंकन हो गया व उक्त गलत अंकन की वजह सें प्रार्थी राज्य सरकार सें मिलने वाले लाभ व सब्सिडियां प्राप्त नहीं कर सकता इस प्रकार गलत नामांकन के आधार पर गोपाल लाल उर्फ रामगोपाल की जगह रामगोपाल का अंकन हो गया है जिससें आवेदक को साम्पतिक अधिकारों का नुकसान होता है व राज्य सरकार सें मिलने वाली योजनाओं सें वंचित रहना पड़ता है इसलिए वादी का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उसके हिस्से अनुसार नाम रामगोपाल की जगह गोपाल लाल का अंकन होना आवश्यक है। दिनांक 15.07.2019 को अपने वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल प्रति निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम गोपाल की जगह रामगोपाल लाल का अंकन हुआ है इसलिए वादकारण पैदा होकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती का दावा लाना लाजिम हुआ है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामगोपाल की जगह गोपाल लाल का अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर रामगोपाल पुत्र मोहरीलाल के स्थान पर गोपाललाल पुत्र मोहरीलाल दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार "रामगोपाल पुत्र मोहरीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में नामा0 संख्या 175 दिनांक 27.11.1974 मोहरीलाल पुत्र श्योलजी की विरासत के द्वारा आया है। इस नामांतकरण का अंकन जमाबंदी संवत 2034–37 से वर्तमान जमाबंदी में रामगोपाल पुत्र मोहरीलाल नाम चलता आ रहा है प्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्ताावेजों में प्रार्थी का नाम गोपाललाल पुत्र मोहरीलाल दर्ज है अतः प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र मोहरीलाल के स्थान पर गोपाललाल पुत्र मोहरीलाल किये जाने की अभिषंशा की जाती है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्रम उमाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 239 रकबा 3.26 है0, ख0नं0 272, 273 किता 2 कुल रकबा 0.60 है0, ख0नं0 275 रकबा 0.04 हैक्टर में खातेदार प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र मोहरीलाल के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र मोहरीलाल जाति ब्राह्मण निवासी उमाड़ा तह0 दांतारामगढ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner